प्र0क्र0 RCT–999 / 2022
पु0 बेलगढा बनाम
कल्ली उर्फ गजेन्द्र आदि
<u>उपार्पण आदेश</u>

20.10.2022 राज्य द्वारा श्री विक्रांत गौर एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी कल्ली उर्फ गजेन्द्र उपजेल डबरा से व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित।

शेष आरोपीगण बीरवल, सोनू, अनिल, बीरेन्द्र व घ ानश्याम उपस्थित। आरोपी घनश्याम की ओर से श्री विशाल रावत अधिवक्ता उपस्थित तथा शेष आरोपीगण की ओर से श्री रामनिवास गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष के उपार्पण पर तर्क श्रवण किये गये।

पुलिस थाना बेलगढा द्वारा अपराध क्रमांक 39 / 2022 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 294, 323, 506 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 294, 323, 506 भा0दं0सं0 इजाफा धारा–324, 325, 326 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा–326 भा0दं0सं0 का अपराध अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। आरोपीगण के अधिवक्ता को धारा–207 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियोगपत्र एवं उससे संलग्न प्रपत्रों की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रकरण अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य

होने से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर की ओर धारा–209 दं0प्र0सं0 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में उपार्पित किया जाता है।

उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक डबरा एवं नायब नाजिर भितरवार को दी जाये। नायब नाजिर प्रकरण से संबंधित संपत्ति (यदि कोई जमा हो तो) आगामी तिथि पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, डबरा के न्यायालय में प्रस्तुत करें।

उपस्थित आरोपीगण व आरोपी कल्ली उर्फ गजेन्द्र के संबंध में उपजेल डबरा को निर्देशित किया गया कि वह आगामी तिथि 03.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, डबरा के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें।

प्रकरण में आरोपीगण की अभिरक्षा संबंधी धारा–428 दं. प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाणपत्र तैयार कर अभिलेख में संलग्न किये जावें।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, प्रकरण विधिवत् तैयार कर, अविलंब माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर की ओर प्रेषित किया जावे।

(राकेश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भितरवार जिला–ग्वालियर (म.प्र.)